

Order Sheet [Contd]

Case No 305/2017 बी.ए

Date of Order or Proceeding	Order or proceeding with Signature of presiding	Signature of Parties or Pleaders where necessary
30-08-2017	<p>आवेदकगण/अभियुक्तगण भगवत व श्यामलाल की ओर से श्री गंभीर सिंह निगम अधिवक्ता।</p> <p>राज्य की ओर से अपर लोक अभियोजक श्री दीवानसिंह गुर्जर।</p> <p>पुलिस थाना मालनपुर जिला भिण्ड के अप0क0 122/17 धारा 304बी, 34 भा.दं.वि. एवं धारा 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम की केश डायरी प्रतिवेदन सहित प्रस्तुत।</p> <p>प्रकरण में आवेदकगण/अभियुक्तगण भगवत व श्यामलाल की ओर से अधिवक्ता श्री जी.एस. निगम द्वारा प्रथम नियमित जमानत आवेदनत्र अंतर्गत धारा 439 जा0फौ0 पेश कर निवेदन किया है कि आवेदक/अभियुक्त के विरुद्ध पुलिस थाना मालनपुर में फरियादी की झूठी रिपोर्ट के आधार पर अपराध पंजीबद्ध कर लिया है, जबकि उक्त अपराध से आवेदकगण का कोई संबंध सरोकार नहीं है। घटना के समय आवेदकगण घर पर नहीं थे। आवेदकगण ने कभी भी मृतिका को किसी प्रकार से परेशान नहीं किया था। मृतिका क्रोधी व जिद्दी स्वभाव की थी और कई बार आवेदकगण को आत्महत्या करने की धमकी भी दी थी। मृतिका ने आवेदकगण की अनुपस्थिति में आग लगाई है। आवेदकगण न्यायिक अभिरक्षा में है। वह जमानत की समस्त शर्तों का पालन करने को तैयार है। अतः उन्हें उचित जमानत मुचलके पर छोड़े जाने का निवेदन किया है।</p> <p>राज्य की ओर से अपर लोक अभियोजक ने जमानत आवेदनपत्र का विरोध करते हुए आवेदनपत्र निरस्त करने का निवेदन किया है।</p> <p>उपरोक्त संबंध में विचार किया गया। केश डायरी का अवलोकन किया गया।</p> <p>आवेदकगण/अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा मुख्य रूप से इन तर्कों पर अत्यधिक बल दिया है कि उनके द्वारा मृतिका को कभी भी परेशान नहीं किया गया है और न ही ऐसी कोई बात है, बल्कि मृतिका क्रोधी व जिद्दी स्वभाव की थी, लड़ाई झगडा व दहेज वाली कोई बात नहीं थी। आवेदकगण निर्दोष है और इसी आधार पर जमानत पर छोड़े जाने की प्रार्थना की है।</p> <p>मृतिका का विवाह आवेदक/अभियुक्त भगवत के साथ दिनांक 22.04.2016 को हुआ था तथा मृतिक की मृत्यु जलने के कारण दिनांक 06.06.</p>	

2017 को विवाह के लगभग एक वर्ष पश्चात् ही हो गई है। आवेदकगण/ अभियुक्तगण पर मृतिका को दहेज के लिए प्रताडित करने का गंभीर आरोप है। प्रकरण में अभी अनुसंधान चल रहा है। अपराध की गंभीरता, उपलब्ध सामग्री को देखते हुए आवेदकगण/अभियुक्तगण को जमानत पर मुक्त किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है।

परिणामतः आवेदकगण/अभियुक्तगण की ओर से प्रस्तुत जमानत आवेदनपत्र अंतर्गत धारा 439 जा०फौ० स्वीकार योग्य न होने से निरस्त किया जाता है।

आदेश की प्रति सहित केश डायरी संबंधित थाने को बापस की जावे।

प्रकरण का परिणाम दर्ज कर रिकार्ड अभिलेखागार भेजा जावे।

(वीरेन्द्र सिंह राजपूत)
ए०एस०जे० गोहद

सामान्य जानकारी हेतु प्रतिलिपि
(शासकीय / विधिक उपयोग हेतु अमान्य)

सामान्य जानकारी हेतु प्रतिलिपि
(शासकीय / विधिक उपयोग हेतु अमान्य)